

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1730]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2013/श्रावण 2, 1935

No. 1730]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2013/SRAVANA 2, 1935

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2013

का.आ. 2276(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री नेयर हुसैन, पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को दिनांक 22 जुलाई, 2013 से पांच वर्ष की अविध या उनके द्वारा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17(30)/2012-पीएल/एनजीटी (खण्ड IV)]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2013

S.O. 2276 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Justice S. Naver Hussain, former Judge of Patna High Court, as the Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from 22nd July, 2013 for a period of five years or till he attains the age of sixty-seven years, whichever is earlier.

[F.No. 17(30)/2012-PL/NGT(Vol.IV)]

SURJIT SINGH, Jt. Secv.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2013

का.आ. 2277(अ).--केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री दलीप सिंह, राजस्थान उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि या उनके द्वारा सङ्सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव [फा. सं. 17(30)/2012—पीएल/एनजीटी]

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2013

S.O. 2277(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Justice Dalip Singh, former Judge of Rajasthan High Court, as the Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for a period of five years or till he attains the age of sixty-seven years, whichever is earlier.

[F.No. 17(30)/2012-PL/NGT(Vol. IV)] SURJIT SINGH, Jt. Secy.